

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 28 सन 2020

अनवान :-

1. पार्वती पुत्री मामचन्द पत्नी कृष्ण कुमार जाति गोसाई (गुसाई) साकिन ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 05/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 108/226 की कुल 13.6830हैक् में से 724/22805हिस्सा , एवं खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैक् भूमि में 1/252 हिस्सा एवं खाता संख्या 404/380 ककी कुल 0.220हैक् में से 1/9 हिस्सा, एवं खाता संख्या 109/225 की कुल 10.2440हैक् में से 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 217/51 की कुल 18.9090हैक् में से 1201/37818 हिस्सा भूमि की सायल का खातेदार काश्तकार है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण पातोदेवी पुत्र मामचन्द दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम पार्वती पुत्री मामचन्द है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , सभी में वादी का नाम पार्वती पुत्री मामचन्द दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 108/226 की कुल 13.6830हैक् में से 724/22805हिस्सा , एवं खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैक् भूमि में 1/252 हिस्सा एवं खाता संख्या 404/380 ककी कुल 0.220हैक् में से 1/9 हिस्सा, एवं खाता संख्या 109/225 की कुल 10.2440हैक् में से 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 217/51 की कुल 18.9090हैक् में से 1201/37818 हिस्सा भूमि में वादी का नाम पातोदेवी व पातादेवी के स्थान पर पार्वती पुत्री मामचन्द संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 108/226 की कुल 13.6830हैक् में से 724/22805हिस्सा , एवं खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैक् भूमि में 1/252 हिस्सा एवं खाता संख्या 404/380 ककी कुल 0.220हैक् में से 1/9 हिस्सा, एवं खाता संख्या 109/225 की कुल 10.2440हैक् में से 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 217/51 की कुल 18.9090हैक् में से 1201/37818 हिस्सा भूमि की सायल का खातेदार काश्तकार है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण पातोदेवी पुत्र मामचन्द दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम पार्वती पुत्री मामचन्द है यही नाम अन्य सभी

20

दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, सभी में वादी का नाम पार्वती पुत्री मामचन्द दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 108/226 की कुल 13.6830हैक में से 724/22805हिस्सा, एवं खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैक भूमि में 1/252 हिस्सा एवं खाता संख्या 404/380 ककी कुल 0.220हैक में से 1/9 हिस्सा, एवं खाता संख्या 109/225 की कुल 10.2440हैक में से 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 217/51 की कुल 18.9090हैक में से 1201/37818 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम पातोदेवी व पातादेवी पुत्री मामचन्द दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम पार्वती पुत्री मामचन्द है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, सभी में वादी का नाम पार्वती पुत्री मामचन्द दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 108/226 की कुल 13.6830हैक में से 724/22805हिस्सा, एवं खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैक भूमि में 1/252 हिस्सा एवं खाता संख्या 404/380 ककी कुल 0.220हैक में से 1/9 हिस्सा, एवं खाता संख्या 109/225 की कुल 10.2440हैक में से 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 217/51 की कुल 18.9090हैक में से 1201/37818 हिस्सा में पातोदेवी, पातादेवी पुत्री मामचन्द के स्थान पर पार्वती उर्फ पातोदेवी पुत्री मामचन्द संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/ दिनांक :-

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 28/2020 अनवानी पार्वती बनाम सरकार मे पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग :- अनवान :-

1. पार्वती पुत्र मामचन्द पत्नी कृष्णकुमार जाति गोसाई (गुसाई) साकिन ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबदा जिला सिरसा

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 28/2020 अनवानी पार्वती बनाम सरकार में दिनांक 05/03/21 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 108/226 की कुल 13.6830 हैक् में से 724/22805 हिस्सा , एवं खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580 हैक् भूमि में 1/252 हिस्सा एवं खाता संख्या 404/380 ककी कुल 0.220 हैक् में से 1/9 हिस्सा, एवं खाता संख्या 109/225 की कुल 10.2440 हैक् में से 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 217/51 की कुल 18.9090 हैक् में से 1201/37818 हिस्सा में पातोदेवी पातादेवी पुत्री मामचन्द के स्थान पर पार्वती उर्फ पातोदेवी संशोधन में पातोदेवी , पातादेवी पुत्री मामचन्द के स्थान पर पार्वती उर्फ पातोदेवी पुत्री मामचन्द संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)